कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "घ" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

पत्रांकः– 79 /61 व्यघ–सा0/13 दिनांकः– 05/03/2013

"कार्यालय ज्ञाप"

शासनादेश सं0 2248/ ।।।(1)/07–75(अधि0)/07 दिनांक 14.11.07 एवं शासनादेश सं0 1346/ ।।।(1)/12–75(अधि0)/07 दिनांक 04.12.2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 4738/61 व्यघ–सा0/12 दिनांक 22.01.2013 द्वारा विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रकिया के अनुसार चयन समिति को प्रस्तुत किये जाने एवं समिति की संस्तुति उपरान्त संलग्नक में अंकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित खण्डीय कार्यालयों में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद पर संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन अल्पकालिक तैनाती किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

1. संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को प्रतिमाह रू0 15,000.00 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) नियत मानदेय प्रदान किया जाएगा।
2. संविदा पर तैनात कार्मिकों को निर्धारित एकमुश्त नियत मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिकों की भांति अनुमन्य सामान्य यात्रा भत्ता देय होगा।
3. योगदान करते समय संलग्न अनुबन्ध पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर में पूर्ण कर प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा पर तैनाती पूर्णतः अल्पकालिक एवं अधिकतम् एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो तक के लिये होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा और तैनात कार्मिक तत्समय् धारित पद से स्वतः हटा हुआ समझा जायेगा।
5. संविदा पर तैनात कार्मिकों को 14 दिनों के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा वेतन देय नही होगा।

संलग्नक प्रपत्र में अंकित संविदा के आधार पर तैनात कार्मिकों को योगदान करते समय निम्न प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करने होगें। अधिशासी अभियन्ता मूल अभिलेखों से प्रमाण पत्रों को सत्यापित कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय के आदेश प्राप्त होने तक योगदान आख्या स्वीकार नही करेंगे।

1. हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
2. विद्युत डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. अनुबन्ध पत्र मूल में।
5. स्वस्थता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से प्रदत्त मूल में।
6. क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
7. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम् चरित्र प्रमाण पत्र।

उपरोक्त कार्मिकों को तैनाती के कार्यालय में दिनांक 15/03/2013 तक योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में योगदान नही किया जाता है, तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

(के0सी0 उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, ग0 / कु0क्षेत्र / ए0डी0बी0 / रा0मा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0,पौडी / अल्मोडा / देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल / कुमायूं, पौडी / नैनीताल।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी.....।
6. अधीक्षण अभियन्ता,.....वां वृत्त, लो0नि0वि0, ...।
7. अधिशासी अभियन्ता,..... खण्ड, लो0नि0वि0, ...।
8. सम्बन्धित कार्मिक।

संलग्नः–पत्रानुसार।

मुख्य अभियन्ता स्तर– I(मुख्यालय)

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध वर्ष..... के.....माह के.....दिनांक को प्रथम पक्ष श्री/कु0/श्रीमती.....और उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया है।

जबकि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट शर्तो के अधीन अपनी सेवायें देने को सहमत हो गया है:–

अतएव, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ निम्नवार करार करता है कि–

प्रथम पक्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ..... निवासी .....लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति पत्र में योगदान दिये जाने की तारीख से यथा इंगित 01 वर्ष की अवधि अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिये पदो के विषय में विज्ञापन संख्या.....दिनांक..... में उल्लिखित शर्तो से पूर्णतः सहमत है और निम्नलिखित शर्तो को स्वीकार करते हुये संविदा पर योगदान देने हेतु सहमति/बचनबद्धता देता/देती है।

1. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड क्षेत्र में कहीं भी तैनाती/स्थानान्तरित करने पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. संविदा पर तैनाती की अधिकतम अवधिं एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो , तक की होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर उक्त तैनाती से प्रथम पक्षकार स्वतः हट जाएगा।
3. विभाग द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिये जाने हेतु प्रथम पक्षकार किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगा/करेगी।
4. प्रथम पक्ष विभाग द्वारा देय नियम मासिक मानदेय रू0.....एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार के भत्ते हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।
5. प्रथम पक्षकार को वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।
6. प्रथम पक्षकार अपना सम्पूर्ण समय उसे प्रदत्त कार्यो के लिए सुलभ कराएगा/कराएगी तथा सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय–समय पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा/करेगी एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी, जो उसे समुनेदेशित किये जायेंगे।
7. प्रथम पक्ष की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेंगी:–

(एक) द्वितीय पक्ष द्वारा एक कैलेण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय, द्वितीय पक्ष की राय में इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

(दो) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर द्वितीय पक्ष का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है एवं अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।

(तीन) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के किसी प्राविधान अथवा जिस शाखा में वह तैनात है, उसके किसी नियम की अवज्ञा या असंमय का दोषी पाया जाय।

(चार) इसके अतिरिक्त, इस अनुबन्ध के अधीन तैनाती के दौरान किसी समय प्रथम पक्ष को अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

परन्तु यह कि उक्त प्रकार के नोटिस के बदले द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह के नियत मानदेय के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।

8. प्रथम पक्ष तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नही करेगा/करेगी।
9. संविदा पर तैनाती के दौरान प्रथम पक्ष अथवा उसके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।
10. किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस अनुबन्ध में कोई प्राविधान नहीं किये गये है, उनके सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर एवं पता:–

प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित

नियुक्ति प्राधिकारी

1.

2.

संविदा के आधार पर चयनित कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत की सूची

ज्येष्ठता कमांक	नाम/पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अमिता नेगी पुत्री श्री आई0एस0 नेगी	लेक्चरार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉली0, श्रीनगर गढ़वाल	22.05.88	सामान्य	सामान्य	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर
2	सपना त्यागी पुत्री श्री प्रयांक कुमार त्यागी	नन्द विहार–सनहेरा रोड़ नियर पॉलिटेक्निक हॉस्टल रुडकी जि0–हरिद्वार	07.12.88	सामान्य	सामान्य महिला	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल
3	परविन्दर कुमार पुत्र श्री हरि राम	ग्राम+पो0 शाहपुर शीतला खेरा जिला हरिद्वार	03.03.85	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़
4	देशराज सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह	पी0–613 टोन कालोनी डाकपत्थर देहरादून।	28.12.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर

(के0सी0 उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।